# झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड, रांची – 834001

# विज्ञापन

### आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि :--09.08.2017

विज्ञापन संख्या- 16/2017

सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका में विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष के एकल पद पर नियमित नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हत्ताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :--

1. <u>पद का नाम</u> :- विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (University Librarian) वेतनमान :-37,400-67,000 + AGP-

# 2. अर्हत्ता एवं अनुभव :--

Name of Post	Qualification & Experience		
University	(i) A Master's Degree in Library Science/Information Science/Documentation with at least 55% marks		
Librarian	or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale and consistently good academic record as		
	described in the clause- 3 of this advertisement.		
	(ii) At least thirteen years as a Deputy Librarian in a University Library or eighteen years experience as		
	a College Librarian.		
	(iii) Evidence of innovative library service and organization of published work.		
	(iv) Desirable: M.Phil./Ph.D. Degree in library science/Information science/documentation/archieves		
	and manuscript-keeping.		

Note: - Candidates who will be attaining the age of 65 years during the process of selection, they will not be eligible for this post.

#### 3. Explanation of Good Academic Record:

A candidate who has secured uniformly at least second division/class in secondary, intermediate and degree level examinations, may be considered to possess good academic records.

- (i) A relaxation of 5% may be provided from 55% to 50% of the marks at the Master's level for SC/ST category
- (ii) A relaxation of 5% may be provided from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. degree holders who have passed master's degree prior to 19<sup>th</sup> September 1991.
- (iii) B in the 7-point scale with letter grades O, A, B, C, D, E & F shall be regarded as equivalent to 55% whenever the grading system is followed.

#### SEVEN POINT SCALE

Grade	Grade Point	Percentage Equivalent
'O' - Outstanding	5.50-6.00	75-100
'A' - Very Good	4.50-5.49	65-74
'B' - Good	3.50-4.49	55-64
'C' - Average	2.50-3.49	45-54
'D' - Below Average	1.50.2.49	35-44
'E' - Poor	0.50-1.49	25-34
'F' - Fail	0-0.49	0-24

- (iv) The minimum requirement of 55% shall not be insisted upon for Principals, Professors and Readers for the existing incumbents who are already in the University system. However, these marks should be insisted upon for those entering the system from outside and for those at the entry point of lecturers.
- (v) The statutes shall not be applicable to such cases where selection of the candidates having had the then requisite qualification as were existing at that time through duly consitituted selection committee for making appointments to the reaching posts have been made prior to the enforcement of these statutes.
- **4. Mode of Selection:** Selection will be made on the basis of performance of the candidate in personal Interview.

# 5. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the interview room, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the interview room.
- (l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
  - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
  - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
  - (iii) canvassing in any form will disqualify a candidate.

# (ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी, जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

# (iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

# आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

### 6. प्रविष्टि :

- (i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए—4 आकार (210 X 297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट—www.jpsc.gov.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। निर्धारित प्रपत्र से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तिलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तिलिपि में साफ—साफ अंकित करें। चूंिक आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो, उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।
- (iii) आवेदन-पत्र में रिक्त आयतों का समुचित तरीके से इस प्रकार भरें जैसे :-
  - (a) आवेदन में देवनागरी लिपि में नाम यथा सचिन कुमार इस प्रकार भरा जाय स चि न कु मा र
  - (b) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें यथा AMIT KUMAR RAM को बॉक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे :—

A M I T K U M A R R A M

- (c) उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (x) कर दें।
- (v) आवेदक "शैक्षणिक योग्यता" के अधीन 'प्राप्तांक / पूर्णांक एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।
- (vi) आवेदक अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सकें।
- (vii) यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा उसे क्रॉस (x) कर दें।

### 7. फोटोग्राफ :-

आवेदन पत्र पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन—अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

### 8. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :-

- (i) विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वच्छ एवं स्पष्ट (Visible) स्वअभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें :--
  - 1) आयु संबंधी मैट्रिक का प्रमाण पत्र / अंक पत्र,
  - 2) इंटरमीडियट का प्रमाण पत्र / अंक पत्र,
  - 3) स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
  - 4) स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
  - 5) पीएच.डी. / एम. फिल. प्रमाण पत्र,
  - 6) जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो),

- 7) अनुभव प्रमाण पत्र,
- 8) विकलांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
- 9) अन्य संबंधित अभिलेख जो विज्ञापन के अनुरूप हो।
- (ii) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहें हैं, उस लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं• एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें।

### 9. परीक्षा शुल्क :--

- (i) अनारक्षित / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I) / पिछड़ा वर्ग (Annexure-II) के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के रूप में रुपये 600 / (छह सौ) मात्र + बैंक चार्ज तथा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रुपये 150 / (एक सौ पचास) मात्र + बैंक चार्ज देय होगा। परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या—35150282186 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकता है। उक्त चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। चालान की एक मूल प्रति (JPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा चालान की तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास स्रक्षित रखें।
- (ii) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट हेतु न्यूनतम अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (iii) विकलांग (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) आवेदकों के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

### 10. अन्य शर्ते :--

- (i) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (ii) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (iii) आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (iv) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (v) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

### 11. अंतिम तिथि :-

- (i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट या हाथों—हाथ (कार्यावधि में) से इस प्रकार भेंजे कि दिनांक—22.07.2017 से दिनांक—09.08.2017 अपराह्न 5:00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची—834001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
- (ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा इसके लिए आयोग कर्ताई जिम्मेदार नहीं होगा।

ह0 / — सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची

10